भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-793
उत्तर दिनांक 04/02/2026 को दिया गया

रूस के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग

793. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार रशियन स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन 'रोसाटॉम' के साथ विस्तारित परमाणु सहयोग पर बातचीत कर रही है और भारत में वीवीईआर-1200 रिएक्टरों और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की तैनाती का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सहयोग के तहत प्रस्तावित नई परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं की संख्या कितनी है और अपेक्षित निवेश प्रतिबद्धता और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई प्रस्तावित इकाई की योजना महाराष्ट्र राज्य के लिए या जनजातीय जिलों सहित औद्योगिक उत्थान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संवेदनशील क्षेत्रों में विशेषकर परमाणु-सुरक्षा, स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार का विचार यह कैसे सुनिश्चित करने का है कि स्थानीय समुदायों को नई परमाणु परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के अवसरों का लाभ मिले; और

(च) इन भारत-रूस परमाणु सहयोग परियोजनाओं के तहत करार को अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण पूरा करने और प्रथम निर्माण कार्यों को शुरू करने की संभावित समय-सीमा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क), (ख), (ग), (च)

नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और रोसाटॉम के बीच नियमित चर्चाएं चल रही हैं। इस चर्चा में बड़ी क्षमता वाले नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) का क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि, अभी तक किसी भी विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के सभी चरणों में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र नियामक प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की चरण-वार मंजूरी के सख्त अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। जहां तक हितधारक परामर्शों का संबंध है, औपचारिक हितधारक परामर्श भूमि अधिग्रहण के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुरूप सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट पर आयोजित की गई सार्वजनिक सुनवाई के भाग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने के लिए एक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम लागू किया गया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा, पर्यावरणीय और अन्य मंजूरियों/सहमतियों में निर्धारित सभी शर्तों/सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाता है।

(ङ) सामान्य नीति के रूप में, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनपीसीआईएल में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आयु और अंकों में छूट संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, उपयुक्त स्थानीय युवाओं को वरीयता देना भी विभिन्न अनुबंधों के नियुक्ति प्रावधानों का एक हिस्सा है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के भाग के रूप में स्थानीय प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए प्रायोजन भी प्रदान किए जाते हैं। सरकार मौजूदा प्रचालन स्थलों के अलावा कई नए स्थलों के आसपास कई पहल करती है जहां परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या पूर्व-परियोजना की गतिविधियों के अधीन हैं। एनपीसीआईएल द्वारा अपनी संस्थापनाओं में आसपास की आबादी के लाभ के लिए और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं, मुख्य रूप से कौशल विकास सहित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे का विकास और स्वच्छता के क्षेत्रों में।

*****